फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम जगदीश

ACM-IIप्र

यालय

या केस 186/2023

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 15/4/24 को पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक संघ द्वारा आज रूलोसेस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/5/24 को पेश हो। वातावरण की गर्मी के .... 02.2.24 ... 01.10.24 ... किया गया। ...	
		आज दिनांक 6/5/24 को पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक संघ द्वारा आज रूलोसेस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/24 को पेश हो।	
	22/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षगण वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत वाद खारिज किये जाने पर सुने जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि वादी द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश किया है जो कि बाद बाद लाँ होने से खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि	Contd.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

बबलू बनाम श्रीमती जसवीर कौर

नाम न्यायालय ACM

केस संख्या दावा/186/23.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि
		प्रतिवादी सं० 2 की मृत्यु की जानकारी नहीं है जमाबंदी के आधार पर वाद पेश किया है व प्रतिवादी सं०-1 की मृत्यु दौराने वाद हुई है जिसके कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जा चुका है। वकील उभयपक्षों के कथनों पर मनन व प्रार्थनापत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा अपने के पैरा नं०-7 में कथन किया है कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा मौके पर विवादग्रस्त भूमि में आकर वादीगण को धमकी दी, कि उक्त भूमि का कब्जा हमें संभला दो, हम जबरन भूमि को खाली करवाना जानते है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रतिवादी सं०-2 की मृत्यु दिनांक 25/03/16 को होना अंकित है, कोई मृत व्यक्ति किसी को भी किस प्रकार धमकी दे सकता है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा अपना वाद कपोल कल्पित व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अत: वादी का वाद विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। साथ ही, वादी को स्वच्छ हाथों से नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/5/24 को पेशी पर लिखाया जाकर सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner